2. लोक सेवा आयोग के परिधि से बाहर

13

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संख्या-27/2/1974 कार्मिक,
दिनांक 29 जुलाई, 1975

विषय : अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975

Subject : Subordinate Officers Ministerial staff (Direct Recruitment) Rules, 1975.

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खन्ड द्वा.i प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, राज्य के अधीन सरकारी कार्यालयों में लिपिक वर्ग की भर्ती के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[1]**[2. इस नियमावली का लागू होना**—(1) इस नियमावली द्वारा सरकार के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों में, किन्तु सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियन्त्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश और महाधिवक्ता के नियन्त्रण में अधिष्ठात के कार्यालय को छोड़कर, आशुलिपिक के पदों से जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर हों, भिन्न निम्नतम, श्रेणी के समस्त लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती नियन्त्रित होगी।

(2) ऐसे लिपिक वर्ग के पदों की, जिन पर यह नियमावली लागू होती है, समस्त रिक्तियों पर भर्ती इस नियमावली के अनुसार की जायेगी।

3. अन्य नियमों में असंगतता का प्रभाव—इस नियमावली और किसी विशिष्ट सेवा नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा में—

(क) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अधिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों,

(ख) विशिष्ट नियम के उपबन्ध उस दशा में अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात बनाये जायें।

[2]**[4. परिभाषाएँ**—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों; इस नियमावली में।

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का निर्देश किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक वर्ग के पद के सम्बन्ध में उस प्राधिकारी से है, जो उस पद पर नियुक्ति करने के लिये सुसंगत नियमों या आदेशों के अधीन सशक्त हो,

---

1. By Notification No. 27/2/74-Karmik-2, dated 14-6-1977 came into effect from the same date, and amended by Karmik-2 No. 27/2/1974 dated April 28, 1979.
2. By Notification No. 27/2/1974-Karmik-2, dated 28-9-1979, it came into effect atonccl.

Scanned by CamScanner

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ङ) "कार्यालयाध्यक्ष" का तात्पर्य किसी कार्यालय के उच्चतम राजपत्रित अधिकारी से है,

(च) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद से है, जिसके अन्तर्गत लखनऊ स्थित उसकी बेंच भी है,

(छ) "लिपिक वर्ग" का निर्देश अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे लिपिक वर्ग से होगा जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो,

[1](छछ) "छटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर निम्नलिखित रूप में नियोजित व्यक्ति से है—

(1) स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में;

(2) कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए;

(3) अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण जिसे सेवा से अभियुक्त किया गया हो या किया जा सकता हो; और

(4) जिसके सम्बन्ध में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो; किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है,

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का निदेश सचिवालय, राज्यविधान मण्डल, लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियन्त्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश और महाधिवक्ता के नियन्त्रण में अधिष्ठान के कार्यालयों को छोड़कर सरकार के नियन्त्रण के समस्त कार्यालयों से होगा,

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले बारह मास की अवधि से है।

[2][**5.** निकाल दिया गया।]

[3][**6. चयन समिति का गठन**—किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ, निम्न रूप से एक चयन समिति का गठन किया जायेगा :—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी।

(3) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी और यदि ऐसा कोई अधिकारी न हो तो जिलाधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी।

टिप्पणी—जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी या उसके स्थान पर जिलाधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि चयन करने में आरक्षण से सम्बन्धित सरकारी आदेशों का अनुपालन किया जाता है।

---

1. Notification No. 27-2-1974-Karmik-2, dated 11th October, 1979.
2. Deleted by the aforesaid Notification.
3. Amended vide Ibid.

Scanned by CamScanner

7. भर्ती का स्रोत—किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्ग की निम्न श्रेणी में भर्ती, नियम 12 में यथा-उपबन्धित तथा शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियम 6 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी विशिष्ट अधीनस्थ कार्यालय में 10 प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से जो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, पदोन्नति करके भरी जा सकती हैं।

टिप्पणी—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त आदेश सरकारी संख्या 37/1/69 नियुक्ति (ख) दिनांक 1 जनवरी, 1970 में दिये गये हैं।

[1][**8. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी**—इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो किया जायेगा।]

[2][**9.** निकाल दिया गया है।]

[3][**10.** निकाल दिया गया।]

[4][**11. आयु**—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।]

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी किन्हीं अन्य श्रेणियों के, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित किया जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में आयु की अधिकतम सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

12. शैक्षिक अर्हतायें—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिये।

प्रतिबन्ध यह है कि टंकक के पद के लिये अभ्यर्थी की हिन्दी टंकण में प्रति मिनट 25 शब्द की गति भी होनी चाहिये।

[5][**13. भूतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य वर्गों के लिये छूट**—भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों, उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे सेवकों के, जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाये, आश्रितों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हतायें या भर्ती की किन्हीं प्रक्रियागत अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों या आदेशों के अनुसार होगी।]

[6][**14.** चयन का आधार निकाल दिया गया है।]

[7][**14-क. छटनी किये गये कर्मचारियों के लिये शिथिलीकरण**—(1) छटनी किये गये कर्मचारियों को उच्चतम आयु-सीमा में उसके द्वारा की गई राज्य सरकार की सेवा की अवधि के साथ-साथ छटनी किये जाने के फलस्वरूप सरकारी नौकरी के बिना व्यतीत की गई अवधि तक की छूट दी जायेगी।]

---

1. By Notification No. 27/2/74-Personnel-2, dated 6-7-1977 came into effect from 6-7-1977 upto three years.
2. Deleted by Notification No. 27-2-1974-Karmik-3, dated 11th October, 1979.
3. Deleted vide Ibid.
4. Amended vide Ibid.
5. अधिसूचना सं० 27/2/1974—कार्मिक-2, दिनांक 22-7-82 द्वारा संशोधित जो दिनांक 11 अक्टूबर, 1979 से प्रवृत्त समझी जायेगी।
6. अधिसूचना सं० 27/2/1974—कार्मिक-2, दिनांक 11 अक्टूबर 1979 द्वारा संशोधित।
7. Ibid.

Scanned by CamScanner

(2) छटनी किये गये कर्मचारी के विषय में जो राज्य सरकार की सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति के दिनांक को ऐसी शैक्षिक योग्यता रखता हो, जो उस दिनांक को ऐसे पद के लिये विहित थी, जिसके लिये अब आवेदन किया जा रहा है, यह समझा जायेगा कि उससे ऐसे पद की शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा का समाधान हो जाता है।

(3) इस नियम के प्रयोजनार्थ, पद ''छटनी किया गया कर्मचारी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो राज्यपाल के नियम बनाने के नियन्त्रण में किसी सेवा में या किसी पद पर मौलिक स्थानापन्न या अस्थायी रूप से नियोजित था और जिसने ''कम से कम एक वर्ष की'' अवधि तक लगातार सेवा की हो और जिसकी सेवायें इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् अधिष्ठान में कमी किये जाने के कारण समाप्त कर दी जाये या समाप्त की जा सके और जिसके सम्बन्ध में सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जिसे तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो।]

स्पष्टीकरण—सम्बद्ध सेवा या पद पर प्रयोज्य भर्ती नियमावली या आदेशों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्ति को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया नहीं समझा जायेगा।

[1][15. **रिक्तियों का सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करना**—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 16 के अधीन आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेंगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से, जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में नाम पंजीकृत कराया हो, आवेदन-पत्र सीधे भी आमन्त्रित कर सकता है। नाम चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

[2][16. (1) **चयन की प्रक्रिया**—जब चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जायं, तब वह निम्नलिखित रीति से अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार करेगी :

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने पद के लिये न्यूनतम अर्ह परीक्षा में अंकों का प्रतिशत दर्ज किया जायेगा।

(ख) उत्तीर्ण की गई प्रत्येक उच्च परीक्षा के लिये प्रत्येक ऐसी अन्तिम परीक्षा में प्राप्त किये अंकों के प्रतिशत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त दर्ज किया जायेगा।]

स्पष्टीकरण—तीन वर्ष की उपाधि पाठ्य-क्रम के प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये या स्नातक/अधिस्नातक की उपाधि पाठ्य-क्रम के भाग-एक के लिये कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिये जायेंगे।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी योग्यता सूची चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।

(3) तत्पश्चात् चयन समिति द्वारा साक्षात्कार किया जायेगा और साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :—

(क)	सामान्य ज्ञान	....	20 अंक तक
(ख)	खेलकूद में प्रवीणता	....	5 अंक तक
(ग)	छटनी किया गया कर्मचारी	....	15 अंक तक
	योग	....	40 अंक

टिप्पणी—(i) खेलकूद में प्रवीणता निर्धारित करने में अंकों को निम्न प्रकार से प्रविष्ट किया जायेगा।

---

1. अधिसूचना सं० 27/2/1974—कार्मिक-2, दिनाक 11 अक्टूबर 1979 द्वारा संशोधित।
2. Ibid.

Scanned by CamScanner

(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, ... 5 अंक

(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है .... 4 अंक

(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी है .... 3 अंक

(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/विद्यालय स्तर का खिलाड़ी है .... 2 अंक

(2) छटनी किये गये किसी कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे :—

(एक) सेवा के पूरे किये गये प्रथम वर्ष के लिये .... 5 अंक

(दो) सेवा के आगामी और प्रत्येक पूरे किये गये वर्ष के लिये .... 5 अंक

(3) साक्षात्कार में प्रदिष्ट अंक शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर प्रदिष्ट किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे और इस प्रकार प्राप्त कुल अंक उप-नियम (5) के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, प्रत्येक अभ्यर्थी की स्थिति अवधारित करेंगे और तदनुसार योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों को योग में बराबर अंक मिलें तो शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा।

(4) ऐसे अभ्यर्थियों की स्थिति में जिनका चयन टंकक के पद के लिये और किसी ऐसे अन्य पद के लिये भी किया जाना हो जिसके लिये टंकण को भी एक आवश्यक अर्हता विहित किया गया हो, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जो टंकण जानते हों, विचार किया जायेगा और योग्यता का अन्तिम निर्धारण हिन्दी टंकण में प्राप्त अंकों को जोड़ने के पश्चात् ही किया जायेगा। अभ्यर्थियों के लिये हिन्दी टंकण की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होना अपेक्षित है। हिन्दी टंकण के लिये अंक अधिकतम 50 अंकों में ले लिये जायेंगे। हिन्दी टंकण में प्राप्त अंकों को उपनियम (4) के अधीन पहले से प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी स्थिति में अन्तिम योग्यता सूची कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(5) उन पदों के, जिनके लिये कामर्स या कोई अन्य विशेष तकनीकी अर्हता एक आवश्यक अर्हता के रूप में विहित की गई हो अभ्यर्थियों की स्थिति में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा, जिसके पास इन्टर कामर्स या बैचलर आफ कार्मस की अर्हता अपेक्षित विशिष्ट/तकनीकी अर्हता हो।

(6) ऐसी श्रेणियों के जिनके लिये रिक्तियों को सरकार के सामान्य आदेश के अनुसार आरक्षित रखा जाना हो, अभ्यर्थियों के नाम परीक्षा में उनकी परस्पर योग्यता के अनुसार एक पृथक सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे।

(7) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की जिनके लिये चयन किया गया है, संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

17. फीस—चयन के लिये अभ्यर्थियों द्वारा चयन समिति को राज्यपाल द्वारा समय-समय पर विहित फीस देना अपेक्षित होगा। फीस की वापसी के लिये कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय विहित फीस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिये 50 पैसे होगी तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिये 2.00 रुपये होगी।

[1][18. निकाल दिया गया।]

[2][19. **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति**—नियम 16 के उप-नियम (3) और (6) में निर्दिष्ट चयन सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त

---

1. Deleted by Notification No. 27/2/1974—Karmik-2, dated 11th October, 1979.
2. Amended by Notification No. 27/2/1974-Karmik-2, dated 11th October, 1979.

Scanned by CamScanner

कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये हों।]

[1][20. **निरसन और विधि मान्यकरण**—(1) समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 0-1119/2-बी-50, दिनांक 11 जुलाई, 1950 के अधीन प्रकाशित अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक कर्मचारी की भर्ती के नियम दिनांक 5 जून, 1974 से निरस्त हो जायेंगे और निरस्त हुए समझे जायेंगे।

(2) किन्हीं लिपिक वर्ग के पदों पर सुसंगत समय में अधिसूचना संख्या 27/2/1974-कार्मिक, दिनांक 29 जुलाई, 1975 के साथ जारी की गयी नियमावली के अनुसार किया गया कोई चयन या की गई कोई नियुक्ति यथास्थिति विधिमान्य चयन या विधिमान्य नियुक्ति समझी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त नियम के अनुसार चुने गये व्यक्ति केवल 30 नवम्बर, 1979 तक उपलब्ध रिक्तियों में नियुक्त किये जायेंगे और उसके पश्चात् सूची रद्द हो जायेगी।]

21. तदर्थ नियुक्ति—यदि चुने गये अभ्यर्थियों की सूची निःशेषित हो जाये या चुने गये अभ्यर्थियों की सूची से कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो तो सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः मास से अनधिक अवधि के लिये पात्र अभ्यर्थियों की तदर्थ नियुक्ति की जा सकती है।

14

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संख्या 27/2/1974-कार्मिक

दिनांक 29 जुलाई, 1975

विषय : चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975.

Subject: Class IV Employees Service Rules, 1975.

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खन्ड द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय पर समस्त वर्तमान नियमों तथा आदेशों को अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ वर्ग की कतिपय श्रेणी के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने की निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975

भाग-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ—(1) यह नियमावली चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सेवा नियमावली 1975 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[2][**2. इस नियमावली का लागू होना**—यह नियमावली नियम 4 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में, नियम 6 में निर्दिष्ट सभी चतुर्थ वर्ग (अब समूह 'घ') के पदों पर लागू होगी।]

---

1. Amended/deleted by Notification 27/2/1974-Karmik-2, dated 11th October 1979.
2. शासनादेश संख्या 17/2/74-का० 2, दिनांक 15-9-82 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा संशोधित जो दिनांक 11-10-1979 से प्रवृत्त माना जायेगा।

Scanned by CamScanner